न्यायालय जिला कलक्टर, चूरू (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी, श्री मुक्तानन्द अग्रवाल, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, चूरू

--- --- ---

अपील संख्या 60 सन् 2018 निर्णय दिनांक 30.7.2018

उनवान

1. सम्पतलाल पुत्र रामेश्वरलाल, वार्ड नंबर 2, मणोत अस्पताल के पास, बीदासर, तहसील बीदासर, जिला चूरू
2. गीता देवी पत्नी सम्पतलाल, वार्ड नंबर 2, मणोत अस्पताल के पास, बीदासर, तहसील बीदासर, जिला चूरू

–अपीलान्टान

बनाम

रामेश्वरलाल पुत्र स्व0 परतुराम, जाति सोनी, वार्ड नंबर 2, मणोत अस्पताल के पास, बीदासर, तहसील बीदासर, जिला चूरू

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 16 विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी, बीदासर निर्णय दिनांक 04.04.2018

उपस्थितः–

1. श्री पवन सिंह शेखावत, वकील– अपीलान्टान
2. श्री धन्नाराम सैनी, वकील– रेस्पोडेन्ट

–:: निर्णय ::–

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोन्डेन्ट ने एक प्रार्थना–पत्र उपखण्ड अधिकारी, बीदासर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह वृद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन पुत्र सम्पतलाल व पुत्रवधु श्रीमती गीता देवी ने उनके भरण–पोषण से मुंह फेर रखा है। उनके भरण–पोषण की व्यवस्था हेतु दोनों को आदेश दिया जाये तथा खरीद शुदा मकान से बैदखल किया जावें। प्रार्थना–पत्र को उपखण्ड अधिकारी, बीदासर ने राजस्थान वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अन्तर्गत दर्ज कर अपीलान्ट सं. 1 व 2

जिला कलेक्टर
चूरू

दोनों को नोटिस जारी किया। अपीलान्ट व उसकी पत्नी के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही करने के उपरान्त उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 4.4.2018 द्वारा अपीलान्ट संख्या 1 व 2 को 5000–5000/– रूपये या संयुक्म 10000/– रूपये प्रतिमाह अपने पिता/ससुर रामेश्वरलाल को भरण–पोषण हेतु दिए जाने के आदेश दिए। उपखण्ड अधिकारी, बीदासर के इस आदेश से अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया गया व रेस्पोन्डेन्ट को तलब किया गया तथा उपखण्ड अधिकारी, बीदासर की पत्रावली मंगवाई गई। अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.3.2018 को उपस्थित होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अनुपस्थित मानते हुए एक पक्षीय कार्यवाही की है। रेस्पोडेन्ट ने जो आरोप लगाये है वे गलत है। अपीलान्ट सं. 2 अपीलान्ट सं. 1 की पत्नी है तथा ग्रहणी है। जिसके आय का कोई स्त्रोत नही है तथा ना ही अपीलान्ट सं. 2 किसी प्रकार का व्यवसाय करती है। अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2 में परिभाषितों में अपीलान्ट सं. 2 नही आती है। अपीलान्ट सं. 1 व 2 रेस्पोन्डेन्ट को साथ रखने के लिए तैयार है लेकिन वे इससे सहमत नहीं है। अन्त में अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 4.4.2018 को निरस्त करने की प्रार्थना की।

रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जाहिर किया कि अपीलान्ट द्वारा अपील बाद मियाद पेश की गई है। मियाद प्रार्थना–पत्र के बिन्दू सं. 2 में अपीलान्ट द्वारा अपीलीय आदेश की जानकारी होने का पूर्ण विवरण अंकित नही किया गया है। अपील बाद मियाद पेश किये जाने पर खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्टे कमाने में असमर्थ है। रेस्पोडेन्ट के पास आजीविका का अन्य कोई स्त्रोत नही है। अपीलान्ट ने खुद का मकान किराए पर दे रखा है तथा रेस्पोडेन्ट के खरीदशुदा मकान में रह रहा है। अपीलान्टान के मकान के ताला लगाकर बाहर चले जाते है। जिससे रेस्पोडेन्ट को घण्टों घर के बाहर बैठे रहना पड़ता है। रेस्पोडेन्ट का मानसिक सन्तुलन खराब है। रेस्पोडेन्ट के पास स्वंय का कुछ नही है चुंकि रेस्पोडेन्ट पहले सोने–चांदी के आभुषण बनाने का कार्य करता है जिससे अर्जित की गई समस्त सम्पति वर्तमान में अपीलान्टान के पास ही है। अन्त में अपील खरिज करने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.4.2018 का है जबकि अपील दिनांक 14.6.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु अपीलान्ट ने परिसीमा अधिनियम 5 का प्रार्थना–पत्र शपथ–पत्र सहित प्रस्तुत किया है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समस्त कार्यवाही casual तरीके से की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 27.3.2018 को उपस्थित होने पर भी एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई है। रेस्पोन्डेन्ट की ओर से कोई जवाबी शपथ–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया

जिला कलेक्टर

गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है।

प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह है कि अपीलान्ट सं. 1 की पत्नी अपीलान्ट सं. 2 से रेस्पोडेन्ट को भरण पोषण राशि का भुगतान करवाया जावे या नही। अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2 में परिभाषितों के अन्तर्गत पत्नी से भरण–पोषण दिलवाने का प्रावधान नही है। अपीलान्ट सं. 1 रेस्पोडेन्ट का पुत्र है व भरण–पोषण करने में सक्षम है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, बीदासर के निर्णय दिनांक 4.4.2018 में अपीलान्ट संख्या 2 से भरण–पोषण राशि 5000/– रूपये भुगतान के आदेश को निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बीदासर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जावे। अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2 में वर्णित वारिसों से ही रेस्पोडेन्ट की स्थिति को देखते हुए भरण–पोषण राशि भुगतान का पुनः निर्धारण किया जावें। पत्रावली नम्बर में से कम की जाकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.7.2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

जिला कलेक्टर

(मुक्तानन्द अग्रवाल)

जिला कलक्टर, चूरू